दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 11 अप्रैल 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 193

कर्मचारियों से भरी बस मुरूम खदान में गिरी 14 की मौत

❑ घायलों को इलाज के लिए दुर्ग एवं एम्स हॉस्पिटल रायपुर में किया गया रेफर

दुर्ग । आरएनएस

मंगलवार रात केडिया डिस्टलरी से स्टाफ को लेकर निकली बस 50 फिट गहरे खाई में गिर गई। हादसे में 14 लोगो की मौत हो गई है। वहीं घायलों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दु:ख जताया है। वहीं रात में ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं प्रशासन ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश जारी किया है। जिले में मंगलवार रात को कर्मचारियों से भरी एक बस 50 फु ट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 14 कर्मचारियों की मौत हो गई है। मृत व्यक्तियों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। जबकि 16 लोग घायल हैं। इनमें 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतकों में तीन महिलाएं भी बताई जा रही हैं। सूचना मिलते ही कुम्हारी पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और राहत अभियान शुरू किया। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर एम्स रेफर कर दिया गया है। सीएम विष्णु देव साय ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। दुर्ग शहर के पुलिस अधीक्षक (छावनी क्षेत्र) हरीश पाटिल ने कहा कि दुर्घटना मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे कुम्हारी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत खपरी गांव के पास हुई। कर्मचारी केडिया डिस्टलरी कंपनी के कर्मचारी बताए जाते हैं। ये कर्मचारी ड्यूटी खत्म होने के बाद घर लौट रहे थे। केडिया डिस्टलरी की ओर से मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है। चूंकि हादसे में कई घायलों की हालत नाजुक है इसलिए मृतकों की संख्या बढने की आशंका जताई जा रही है। बताया जाता है कि जिस जगह पर हादसा हुआ वहां मुरुम की खदाने हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि बस में लाइट नहीं जल रही थी। इसी वजह से यह स्लिप होकर खाई में गिर गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने रायपुर एम्स पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना। दुर्ग की कलेक्टर ने भी हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। दुर्घटना में मृतकों के नाम जिला प्रशासन द्वारा पुष्टि किए गए हैं, उनमें उमा पटेल पिता मदन भाई पटेल सेक्टर 2 भिलाई, सत्यनिशा पति अभय रामनगर, पुष्पा देवी पति फूल चरण पटेल भिलाई 3, परमांद तिवारी, कौशल्या बाई निषाद, सत्यराम नारायण, राजू ठाकुर, त्रिभुवन पाण्डेय, मनोज ध्रुव, मिक्कू भाई पटेल, कृष्णों, कमलेश देशलहरे सेक्टर4, शांति बाई देवांगन एवं बस ड्राइवर गुरमीत सिंह शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने की दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10-10 दस लाख रूपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा

कुम्हारी में बीती रात हुए बस दुर्घटना के घायलों से मुलाकात करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एम्स पहुंचे. केडिया डिस्टलरी के घायल कर्मचारियों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना, इसके साथ ही बेहतर से बेहतर इलाज के लिए एम्स प्रबंधन को निर्देशित किया.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घायलों से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा में घटना को दुखद बताते हुए कहा कि घटना होते ही प्रशासन-शासन की टीम मौके पर रात से मौजूद रही. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा कल रात में ही एम्स पहुंच चुके थे. प्रधानमंत्री राज्यपाल ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है. बेहतर से बेहतर इलाज के लिए एम्स को निर्देशित किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी ने मृतक के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा राशि की घोषणा की है. साथ ही साथ मृतक के परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. घायलों के बेहतर इलाज के लिए कंपनी और सरकार खर्च वहन करेगी. उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच की घोषणा की गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद जो कोई भी दोषी होगा, उसे बक्शा नहीं जाएगा. इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इस पर विचार किया जाएगा।

एम्स के डायरेक्टर अशोक जिंदल ने बताया कि कुम्हारी हादसे में घायल 10 मरीज भर्ती हैं. दो की हालत गंभीर है. एक पेशेंट के मस्तिष्क में चोट लगने के कारण काफी सीरियस है. चार को आज डिस्चार्ज किया जा सकता है. माइनर सर्जरी के बाद दो-चार दिन में सबको डिस्चार्ज किया जाएगा. एम्स की पूरी टीम घायलों के उपचार में लगी है.

महत्वपूर्ण एवं खास

10 मई को खुलेंगे श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट

उत्तरकाशी (आरएनएस)। 10 मई को श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह तारीख घोषित हुई है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को 12:25 बजे अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला पर खोले जाएंगे। इस अवसर पर गंगा सहस्रनाम पाठ किया जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां की शुरू की। इस बार भी तीर्थयात्रियों को यात्रा करने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य रहेगा।

मशहूर फिल्म डायरेक्टर का निधन, फैंस में शोक की लहर

तिरुवनंतपुरम (आरएनएस)। मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता गांधीमथी बालन का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम के स्थानीय अस्पताल में अंतिम सांस ली। निर्माता ने 66 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इंडस्ट्री को कई शानदार फिल्में दीं। उनकी फिल्म निर्माण कंपनी का नाम गांधीमथी था और इस तरह उन्हें गांधीमथी बालन के नाम से जाना जाने लगा। बालन ने एक निर्माता के रूप में मलयालम फिल्म उद्योग में कदम रखा, जब वह केवल बीस वर्ष के थे और उन्होंने 'सुखामो देवी', 'पंचवड़ी पालम' और 'थुवनाथुंबिकल' जैसी कई अन्य हिट फिल्में दीं।उनकी फिल्मों का निर्देशन पद्मराजन, केजी जॉर्ज और जोशी जैसे जाने-माने फिल्म निर्माताओं ने किया था। गांधीमथी की कुछ सबसे सफल फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता मोहनलाल ने निर्माता के दुख व्यक्त किया और उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। मोहनलाल ने कहा, वह अपनी फिल्मों के माध्यम से पैसा कमाने के लिए उत्सुक नहीं थे, बल्कि वह अपनी फिल्मों की गुणवत्ता के बार में ज्यादा ध्यान देते थे। मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगा। मोहनलाल ने 30 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया था, जिनमें 'एडमिन्टे वेरियेलु', 'पंचवडी पालम', 'मूनम पक्कम', 'थूवनथुंबिकल' और अन्य शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और बाबा रामदेव का दूसरा माफीनामा भी किया खारिज

नईदिल्ली (आरएनएस)। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन और इससे संबंधित मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और इसके संस्थापक बाबा रामदेव का दूसरा माफीनामा भी खारिज कर दिया है।पंतजलि और इसके प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने एक माफीनामा और बाबा रामदेव ने अलग माफीनामा दायर किया था। इसमें उन्होंने बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी थी।हालांकि, कोर्ट ने इन माफीनामा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक और झूठ दावों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर पूर्ण रोक लगा दी थी और आदेश के बावजूद भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया था।हालांकि, उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद 19 मार्च को आचार्य बालकृष्ण और रामदेव को कोर्ट बुलाया गया।उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए दोबारा अच्छे से माफीनामा दाखिल करने को कहा। आज सुनवाई होने पर न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया।कोर्ट ने कहा कि उन्हें माफीनामा देना भी उचित नहीं समझा गया, इसे पहले मीडिया को भेजा गया और हमें यह कल शाम 7:30 बजे ही मिला।कोर्ट ने कहा, पकड़े जाने के बाद वे केवल दिखाने के लिए माफी मांग रहे हैं। हम इसे अस्वीकार करते हैं। यह जानबूझकर अवज्ञा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अंधे नहीं हैं। हम इस मामले में उदार नहीं होना चाहते... हमें आपकी माफी को वही तिरस्कार क्यों नहीं दिखाना चाहिए, जो आपने कोर्ट में किए गए वादे के प्रति दिखाया? समाज को एक संदेश जाना चाहिए... जब उन्होंने (विज्ञापन) वापस लेने को कहा तो राज्य प्रशासन को भेजे गए अपने जवाबों को देखें। आपने कहा कि हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई है। 2 अधिनियम हैं। कोर्ट ने एक पर रोक लगाई थी।

तीन वाहनों से 11.90 लाख कैश बरामद, अब तक 61.26 लाख जब्त

ग्रेटर नोएडा । आरएनएस

चुनाव को लेकर पुलिस और एफएसटी टीम ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। टीम ने जेवर विधानसभा क्षेत्र में डाढा गोल चक्कर पर तीन वाहनों को रोका। वाहों को चेक किया गया। इसमें से कुल 11.90 लाख रुपए जब्त किए गए। तीनों चालक कैश के बारे में जानकारी नहीं दे सके। यह जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है।

गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा में अब तक पुलिस ने करीब 61.26 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, चेकिंग के दौरान जिस पहले वाहन को रोका गया। उसमें से 10 लाख रुपए बरामद किए गए। वाहन का नंबर डीएल 14 सीएच 0001 है। इसे दिल्ली निवासी राजन यादव पुत्र राजेंद्र यादव चला रहा था।

दूसरे वाहन डीएल 3सीसीएम 1785 में एक लाख रुपए मिले। इसे नई दिल्ली सहदेव सिंह चला रहा था। तीसरे वाहन यूपी 16 डीएफ 7473 से कुल 40 हजार रुपए बरामद किये गये हैं। इसे गौतम बुद्ध नगर के ग्राम कासना निवासी विजय चपराणा चला रहा था।

बरामद कैश के संबंध में आयकर विभाग को जानकारी दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक गौतम बुद्ध नगर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में जिला प्रशासन की टीमों ने 61.26 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं साक्ष्य देने के बाद करीब 7.50 लाख रुपए लौटा भी दिए गए हैं। इनमें से 2.5 लाख रुपये एक कंपनी के वेतन के थे।

इंदौर एयरपोर्ट पर पांच किलो सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार

इंदौर । आरएनएस

विदेश से तस्करी कर लाए करीब पांच किलो सोने के साथ डायरेक्टोरेट आफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआइ) ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इंदौर एयरपोर्ट पर मंगलवार रात डीआरआइ ने कार्रवाई की। शारजाह से आने वाली उड़ान संख्या आइएक्स-256 से आरोपी सोना लेकर एयरपोर्ट पर उतरा था। डीआरआइ को इस संबंध में गोपनीय सूचना मिली थी।

आरोपी मूलत: गुजरात का रहने वाला है। डीआरआई के अनुसार उड़ान से उतरने के बाद शक के आधार पर एक्जिट लॉबी में उसे रोका गया और पूछताछ की गई। उसने स्वीकार किया कि वह सोना लेकर आया है। आगे की जांच में उसके पास से 4.94 किलो सोना बरामद हुआ। इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 94 लाख है।

सोने को छुपाने के लिए इसे उसने पेस्ट के रूप में बदल लिया था। अपने अंतर्वस्त्र के साथ जूते के सोल में भी सोना छुपाया हुआ था। सोने को जब्त करने के साथ ही उसे कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआरआई पता लगा रही है कि यह व्यक्ति किस गिरोह के लिए कोरियर का काम करता है। मामले में सूचना देने वाले को डीआरआई ने इनाम देने की बात कही है।

डीआरआई और कस्टम्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों को आशंका है कि आने वाले दिनों में सोने की तस्करी के मामले बढ़ेंगे। दरअसल, सोने के दाम उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। बुधवार को सोना 73 हजार रुपए प्रति दस ग्राम के दाम पर भारतीय बाजारों में बिक रहा था।

दुबई और इंदौर के सोने के दाम में टैक्स-ड्यूटी के कारण प्रति दस ग्राम करीब आठ हजार रुपए का अंतर आ रहा है। ऐसे में तस्कर ऊंची कीमतों और मुनाफे को देखते हुए विदेश से अधिक सोना लाने की कोशिश करेंगे। डीआरआई ने कहा है कि सोने, मादक पदार्थ जैसी किसी भी तस्करी की सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा।

तमिलनाडु में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

चेन्नई । आरएनएस

तमिलनाडु के थिरुमंगलम के पास शिवराकोट्टई में एक कार दुर्घटना में दो बच्चों सहित एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई. उनकी कार एक दोपहिया वाहन से टकराकर पलट गई.

यह घटना बुधवार सुबह हुई जिसमें दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें शिवराकोट्टई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों की पहचान कनागावेल (62), कृष्णकुमार (56), पांडी (35), नागाजोथी (28), शिव आधमिका (8) और शिवा श्री (7) के रूप में हुई है.

मृतक एक उत्सव में भाग लेने के बाद तिरुनेलवेली से अपने मूल स्थान मदुरै जा रहे थे. मदुरै एसपी बी.के. अरविंद ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और पीड़ितों के शवों को सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया.

रागोड़ा में मिट्टी की खुदाई कर रही तीन महिलाओं की दबकर मौत, चार घायल

बहरागोड़ा (आरएनएस)। बहरागोड़ा प्रखंड के माटिहाना पंचायत अंतर्गत कोकमारा गांव के पास चाकुलिया-बहरागोड़ा मुख्य सडक़ के किनारे खोड़ी मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से मिटटी की खुदाई कर रही तीन महिला श्रमिको की मिटटी में दबकर मौत हो गयी तथा चार महिला श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गयी.मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने तत्काल सभी घायलों को उठा कर बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया जहाँ सभी की चिकित्सा चल रही है. इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने बताया की सभी महिलाएं घर लेपन के लिए खोड़ी मिट्टी प्लास्टिक के बोरे में भरकर ले जाने के लिए खुदाई कर रही थी. इस दौरान अचानक मिट्टी में धंसान शुरू हो गया और भारी मात्रा में मिटटी का ढेर महिलाओं के ऊपर गिर गया. जिसके बाद तीन महिलाओं की मौके पर ही दबकर मौत हो गयी और तीन महिलाएं घायल हो गयी. सभी मजदूर महिलाएं भूतिया पंचायत के पानियाखुंदर गांव निवासी है. घटना की सूचना पाकर बहरागोड़ा थाना प्रभारी विकास कुमार व बहरागोड़ा अंचल अधिकारी भोले शंकर महतो तत्काल मौके पर पहुंचे. उन्होंने जेसीबी मंगवाकर मृतकों को मिट्टी से बाहर निकाला.

वायरल हेपेटाइटिस संक्रमण के कारण प्रतिदिन 3,500 लोगों की मौत, डब्ल्यूएचओ ने किया सतर्क

जिनेवा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि वायरल हेपेटाइटिस के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है और इस संक्रामक बीमारी से वैश्विक स्तर पर रोजाना 3,500 और प्रतिवर्ष 13 लाख लोगों की मौत हो रही है. 'डब्ल्यूएचओ 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट' में कहा गया है कि 187 देशों के नए डेटा से पता चलता है कि वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 2019 में 11 लाख से बढक़र 2022 में 13 लाख हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 83 प्रतिशत मौत हेपेटाइटिस बी के कारण और 17 प्रतिशत मौत हेपेटाइटिस सी के कारण हुई.

विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन में जारी रिपोर्ट में कहा गया है, ''हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के कारण वैश्विक स्तर पर रोजाना 3,500 लोग मर रहे हैं. हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के करीब दो तिहाई मामले सामूहिक रूप से बांग्लादेश, चीन, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपीन, रूस और वियतनाम में हैं.

संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने एक बयान में कहा कि 2025 तक इन 10 देशों में संक्रमण की रोकथाम, निदान और उपचार तक लोगों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और इस दिशा में अफ्रीकी क्षेत्र में गहन प्रयास करना सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के वास्ते वैश्विक प्रतिक्रिया को पटरी पर लाने के लिए आवश्यक हैं. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने भी हेपेटाइटिस के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और इससे निपटने में देशों की मदद करने की प्रतिबद्धता जताई.

भीमा-कोरेगांव हिंसा के आरोपी को सरकार को चुकाने होंगे 1 करोड़ 64 लाख रुपए

नई दिल्ली । आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी गौतम नवलखा से साफ कहा कि आपने स्वयं घर में नजरबंदी का अनुरोध किया था। ऐसे में आप नजरबंदी के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए मुहैया कराए गए पुलिस कर्मियों का खर्च उठाने के दायित्व से बच नहीं सकते हैं। नवलखा नवंबर 2022 से मुंबई में सार्वजनिक पुस्तकालय में नजरबंद हैं।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि नवलखा पर एजेंसी का लगभग 1.64 करोड़ रुपये बकाया है। इस राशि का भुगतान गौतम नवलखा को कडऩा पड़ेगा। पीठ ने नवलखा की ओर से पेश वकील से कहा, अगर आपने इसके लिए (घर में नजरबंदी) मांगा है, तो आपको (सुरक्षा कवर की लागत) चुकानी होगी। आप अपने दायित्व से बच नहीं सकते।"

नवलखा के वकील ने नजरबंदी के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की लेकिन रकम को लेकर आपत्ति जताई है। एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा, हर बार वे ऐसा कहते हैं, मैं मुद्रा कागज देखना चाहता हूं, आपकी फाइल नहीं।

हाउस अरेस्ट के दौरान चौबीसों घंटे पुलिस कर्मियों की रही तैनाती

एसवी राजू ने कहा कि 1.64 करोड़ रुपये बकाया हैं और नवलखा को उनकी नजरबंदी के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा के लिए भुगतान करना होगा। राजू ने कहा कि नजरबंदी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

तेजी से बढ़ रहा धरती का तापमान, मार्च 2024 रहा अब तक का सबसे गर्म महीना : ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी

नई दिल्ली । आरएनएस

यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी ने आज बताया कि अल नीनो और मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव के कारण मार्च 2024 अब तक का सबसे गर्म महीना रहा. यह पिछले साल जून से लगातार दसवां महीना है जिसने तापमान का नया रिकॉर्ड बनाया है.

कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने कहा कि मार्च में औसत तापमान 14.14 डिग्री सेल्सियस था, जो 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक संदर्भ अवधि के औसत से 1.68 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

यह मार्च 1991-2020 के औसत से 0.73 डिग्री सेल्सियस और मार्च 2016 में बने पिछले उच्चतम तापमान से 0.10 डिग्री सेल्सियस अधिक था.

पिछले 12 महीनों (अप्रैल 2023-मार्च 2024) का वैश्विक औसत तापमान भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. यह 1991-2020 के औसत से 0.70 डिग्री सेल्सियस और 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक औसत से 1.58 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने कहा कि जनवरी में पहली बार पूरे एक साल के लिए वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया. हालांकि, पेरिस समझौते में निर्दिष्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा का स्थायी उल्लंघन कई वर्षों में दीर्घकालिक तापमान वृद्धि को संदर्भित करता है.

जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए देशों को वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की आवश्यकता है.

पृथ्वी का वैश्विक सतह तापमान 1850-1900 के औसत की तुलना में लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो कि पिछले 1,25,000 वर्षों में सबसे हालिया हिमयुग से पहले नहीं देखा गया था. इस तापमान वृद्धि को दुनिया भर में रिकॉर्ड सूखे, जंगल की आग और बाढ़ का कारण माना जा रहा है.

वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि का कारण वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की तेजी से बढ़ती सांद्रता है.